

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या -42/2025

अनवान :

1. सुनील कुमार पुत्र सरजीत कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 5 ए.जी. डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. सरजीत कुमार पुत्र भूराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा हाल चक 5 ए.जी. डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रूकमा पुत्री सरजीत कुमार पत्नी राजवीर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुईयां वाली तहसील व जिला सिरसा।
3. आनन्दी पुत्री सरजीत कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 5 ए.जी. डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्णा पत्नी सरजीत कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक 5 ए.जी. डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीया

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री विजय बैनीवाल
2 अधिवक्ता श्री नरेन्द्रपाल वर्मा
डिक्री

:- वादी

:- प्रतिवादीगण

दिनांक 15/4/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री विजय बैनीवाल व नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 सरजीत कुमार के नाम से चकनं० 6 ए.जी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 88/87 में कुल 1.4170 है० अनकनाण्ड आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 6 ए.जी के खाता सं० 88/87 में से सरजीत कुमार का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरासद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.
पीठासीन अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी